

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(बी-400) अलेसे-1/797

दिनांक:- 16/11/2018

कार्यालय आदेश

श्री बजरंग बली बनबेरु(लिक नं. 3692), सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 122/17 दिनांक 22.05.2017 दर्ज होने व श्री बनबेरु को न्यायिक अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखने के फलस्वरूप तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री बनबेरु को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। फलस्वरूप श्री बनबेरु द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर द्वारा सूचित श्री बनबेरु के सहयोगात्मक रवैये को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री बजरंग बली बनबेरु, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि तुरंत प्रभाव से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(बी-400) अलेसे-1/797

दिनांक:- 16/11/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, पाली।
- 2 श्री बजरंग बली बनबेरु, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1(निलम्बित), मुख्यालय-कोषालय, पाली।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 पदस्थापन शीट/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)